संख्या- 60 /2022/3232/छिहत्तर-1-2022-25सम/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ:दिनाँक 26 सितम्बर, 2022

विषय-भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-190/छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनांक 24 जनवरी, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जल जीवन मिशन कार्यक्रम से संबंधित भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार विभिन्न कार्यवाहियाँ किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

2- अत: शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 24 जनवरी, 2020 में एतद्द्वारा निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

शासनादेश संख्या-190/ छिहत्तर-1-2020-25सम/ 2019, दिनांक 24 जनवरी, 2020 के 2(5), 2(6), 2(7), 2(8), 2(13) की व्यवस्था	शासनादेश संख्या-190/ छिहत्तर-1-2020-25सम/ 2019, दिनांक 24 जनवरी, 2020 में एतद्द्वारा संशोधित एवं प्रस्तर 2(5), 2(6), 2(7), 2(8), 2(13) के स्थान पर प्रतिस्थापित व्यवस्था
2(5) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ई-टेन्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित करते हुए आपूर्तिकर्ता एवं कार्यदायी फर्मों/संस्थाओं को सूचीबद्ध किया जाय। ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत एवं स्वच्छता समिति के परामर्श से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा उक्त सूचीबद्ध कार्यदायी फर्मो में से किसी फर्म/ संस्था से पाइप पेयजल जलापूर्ति योजना का कार्य कराने का निर्णय लिया जायेगा।	2(5) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ई-टेन्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित करते हुए आपूर्तिकर्ता एवं कान्ट्रैक्टर्स को सूचीबद्ध किया जाय। ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत एवं स्वच्छता समिति के परामर्श से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा उक्त सूचीबद्ध कान्ट्रैक्टर्स में से किसी कान्ट्रैक्टर्स से पाइप पेयजल जलापूर्ति योजना का कार्य कराने का निर्णय लिया जायेगा।
2(6) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेंसी का इम्पैनलमेन्ट करते हुए कार्यदायी फर्म/ संस्था को भुगतान किए जाने से पूर्व एजेन्सी द्वारा अनिवार्यत: इन्सपेक्शन कराया जाए।	कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेंसी का इम्पैनलमेन्ट करते हुए कान्ट्रैक्टर्स को भुगतान किए जाने से पूर्व एजेन्सी द्वारा अनिवार्यत: इन्सपेक्शन कराया जाएगा।
2(7) कार्य समाप्ति के उपरान्त Defect liability period में पाइप पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन का दायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का होगा।	कार्य समाप्ति के उपरान्त Defect liability period में पाइप पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन का दायित्व सम्बन्धित कान्ट्रैक्टर्स का होगा।
2(8) बहुल ग्राम योजना की स्थिति में 02-05 वर्ष तक संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।	बहुल ग्राम योजना की स्थिति में 02-05 वर्ष तक संचालन एवं अनुरक्षण का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित कान्ट्रैक्टर्स का होगा।

2(13). जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश के अंतर्गत संचालित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु Public Health Engineering Department/ Rural Water Supply Department को नोडल बनाये जाने की व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ द्वारा नोडल विभाग के कार्यो का निर्वहन किया जायेगा।	जल जीवन मिशन की गाइड लाइन में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में प्रदेश में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक विभाग/ नोडल विभाग होगा एवं जल जीवन मिशन के कार्यों के लिये उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) कार्यदायी संस्था होगी।

3- अतः शासनादेश संख्या-190/छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनांक 24 जनवरी, 2020 के प्रस्तर-2 को उपरोक्त बिन्दु संख्या-2 के अनुसार संशोधित /प्रतिस्थापित समझा जाए। उक्त शासनादेश में दी गयी शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

संख्या- 60 /2022/3232(1)/छिहतर-1-2022, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

I. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
II. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
III. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
IV. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
V. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
VI. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
VII. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, नियोजन, नगर विकास, वित्त, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उद्योग एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
VIII. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
IX. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
X. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पंचायतीराज विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग।
XI. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
XII. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
XIII. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश। (द्वारा संबंधित जिलाधिकारी)
XIV. समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश। (द्वारा संबंधित जिलाधिकारी)
XV. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
उप सचिव।